03/02/2025

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्र.सं. 126/2014 रामफूल पुत्र बंगाली न्यायालय द्वारा दिनांक 16/6/2015 को अंतिम डिक्री किया जाकर वादीगण को ख.नं. 960, 965, 966/1, 966/4 वाके ग्राम बरौली तहसील मनियां का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। परन्तु उक्त निर्णय की अनुपालना में 50/- रु. के स्टाम्प पर डिक्री दिनांक 15/01/2019 में वादीगण को दिए गए खसरा नम्बर 966/4 के स्थान पर 966/5 अंकित हो गया। जो कि लिपिकीय त्रुटि है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः डिक्री दिनांक 15/01/2019 में वादी के ख.नं. 966/5 के स्थान पर 966/4 अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

वकील प्रार्थी को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से वकील प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। अतः त्रुटि लिपिकीय स्वरूप की है। जिसे प्रार्थना पत्र 151, 152 CPC के माध्यम से दुरुस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर 50/- रु. के स्टाम्प पर दिनांक 15/01/2019 को जारी की गई पक्की डिक्री के पृष्ठ संख्या 02 के कॉलम नम्बर खातेदार क्रमांक 2 रामफूल व अन्य के ख.नं. 966/5 के स्थान पर 966/4 शुद्ध किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्ल लेकर हो मूल वाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)